मि0नं0
142 / 2022

तारीख फैसला
12.11.2022

उनवान

1— दुर्गाशंकर आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी चोमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से— तहसीलदार दीगोद
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम चोमामालियांन तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व अन्य सहखातेदार की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 132 रकबा 0.89 हे0, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.11 हे0, खसरा नम्बर 570 रकबा 3.00 हे0, खसरा नम्बर 612 रकबा 1.63 हे0, खसरा नम्बर 640 रकबा 0.68 हे0, कुल किता 5 रकबा 6.31 हे0 भूमि दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि उक्त भूमि वादी व अन्य सहखातेदार के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम शंकरलाल नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता कन्या बाई दर्ज किया हुआ है। उक्त भूमि वादी के पिता बद्रीलाल जी की मृत्यु के बाद वादी की नाबालिगी अवस्था में इंतकाल खोला गया था। उस समय वादी का नाम शंकरलाल लिखा दिया गया है जो गलत है जबकि वादी का नाम दुर्गाशंकर है। वादी की जन्म दिनांक 15.09.2000 है जो वादी के स्कूल रिकार्ड में अंकित है उसके आधार पर वादी बालिग हो चुका है। शंकरलाल व दुर्गाशंकर एक ही व्यक्ति वादी का नाम है। किन्तु वादी के आधार कार्ड में दुर्गाशंकर व स्कूल में दुर्गाशंकर दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि उक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत रूप से शंकरलाल व नाबालिग अंकित होने के कारण वादी अपने शामलाती खाते की भूमि पर ऋण आदि की सुविधा प्राप्त नहीं कर सकता है। इस कारण वादी का नाम शंकरलाल के स्थान पर दुर्गाशंकर दर्ज किया जाना आवश्यक है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम चोमामालियान तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व अन्य सहखातेदार की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 132 रकबा 0.89 हे0 खसरा नम्बर 256 रकबा 0.11 हे0 खसरा नम्बर 570 रकबा 3.00 हे0, खसरा नम्बर 612 रकबा 1.63 हे0 खसरा नम्बर 640 रकबा 0.68 हे0, कुल किता 5 रकबा 6.31 हे0 भूमि में वादी का नाम शंकरलाल नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता कन्ता बाई के स्थान पर शंकरलाल उर्फ दुर्गाशंकर पुत्र बद्रीलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में शंकरलाल व दुर्गाशंकर एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है। वादी द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार माता राजकरन्ता उर्फ कन्ताबाई का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चामामालियान तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व अन्य सहखातेदार की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 132 रकबा 0.89 हे0, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.11 हे0, खसरा नम्बर 570 रकबा 3.00 हे0, खसरा नम्बर 612 रकबा 1.63 हे0, खसरा नम्बर 640 रकबा 0.68 हे0, कुल किता 5 रकबा 6.31 हे0 भूमि में वादी का नाम शंकरलाल नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता कन्ताबाई के स्थान पर शंकरलाल उर्फ दुर्गाशंकर पुत्र बद्रीलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

सदस्य सदस्य अध्यक्ष

तालुका विधिक सेवा समिति दीगोद जिला कोटा (राज.)